# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

निगरानी– 5813/2018/छतरपुर/भू.रा.

सावित्री पुत्री श्री सोहनलाल अहिरवार
निवासी–ग्राम बसारी तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – छतरपुर
(म.प्र.)

..... अनावेदक

**न्यायालय नायब तहसीलदार राजनगर प्रभारी क्षेत्र बसारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के **संक्षिप्त तथ्य** :

1– यहकि, आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार राजनगर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा बसारी में स्थित भूमि खसरा नं. 2940, 2941, 2942, 2943 किता 4 एकत्र रकवा 2.846 है0 भूमि राजस्व अभिलेख मे मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। किन्तु उक्त भूमि पर आवेदिका का कब्जा पुश्तैनी चला आ रहा है। जिसपर उसके द्वारा शारिरिक एवं आर्थिक व्यय करके भूमि को काबिल कास्त बनाया है जिससे उसका परिवार का भरण पोषण उक्त भूमि के कृषि कार्य से हा रहा है।

2– यहकि, उपरोक्त भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में भूमि की वास्तविक स्थिति के अनुसार खसरा के कॉलम नं 12 में नाम दर्ज किया जाये। जिससे शासन की योजना के अनुसार उसे पट्टा प्राप्त हो सके।

3– यहकि, नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र को

(2)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक**निगरानी-5813/2018/छतरपुर/भू.रा. सावित्री विरूद्ध म.प्र. शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-10-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक सावित्री की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 2/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-08-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-09-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है ।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"<br>4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध | |

31.X.18

म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.x.18
सदस्य